सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 168/प्रा0पत्र/2024

दायरा दिनांक :–21.08.2024

GCMS ID–2024/243

उनवान

1. कैलाश आ0 रामनारायण जाति अहीर निवासी रघुनाथपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. बंशीलाल आ0 रामनारायण जाति अहीर निवासी रघुनाथपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. मोहनलाल आ0 रामनारायण जाति अहीर निवासी रघुनाथपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. रामलाल आ0 रामनारायण जाति अहीर निवासी रघुनाथपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. छोटी बाई पत्नी रामनारायण जाति अहीर निवासी रघुनाथपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार आ0 चन्दालाल जाति बैरवा निवासी रघुनाथपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. निर्मला पुत्री चन्दालाल जाति बैरवा निवासी रघुनाथपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. मुन्नी बाई पत्नी चन्दालाल जाति बैरवा निवासी रघुनाथपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. महेन्द कुमार आ0 चन्दालाल जाति बैरवा निवासी रघुनाथपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. योगेश कुमार आ0 चन्दालाल जाति बैरवा निवासी रघुनाथपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब, हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम
वकील प्रार्थी :– श्री भंवरलाल गुर्जर
वकील अप्रार्थीगण :– एक पक्षीय कार्यवाही

आदेश

दिनांक :–18.09.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 549/534 रकबा 1.6187 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त भूमि के अलग–बगल चारागाह भूमि खसरा संख्या 166, 166/534, 166/535, 563/538 व 167 है। चारागाह भूमियों में कोई लोग अतिक्रमण की मानसिकता से आते है तथा कब्जा करने का प्रयास करते है, तथा कई बार इसी मानसिकता से प्रार्थीगण की भूमि में भी दखल करने की चेष्टा करते है। प्रार्थीगण की भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम हो रही है, तथा रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीगण काश्त कर रहे है, परन्तु राजस्व कर्मियों द्वारा प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं को प्रकट रूप में कभी बताया नहीं है, इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है, इस हेतु नियमानुसार पत्थरगढी का खर्चा वहन करने हेतु तैयार है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह भूमि का नाप जोख सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाये जिससे भविष्य में किसी भी व्यक्ति से सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न नहीं हो। भूमि वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

रघुनाथपुरा तहसील हिण्डोली में विरिथत होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र की श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 549/534 रकबा 1.6187 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथपुरा पटवार मण्डल धाबाईयों का नयागांव की पत्थरगढी के आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए।

अप्रार्थीगण 01 लगायत 05 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने व जवाब पेश नहीं करने से दिनांक 25.08.2025 को जवाब बंद किए जाने के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 06 ने प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार राशि जमा कराने के उपरान्त पत्थरगढी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका पर अंकित किया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थीगण को सुना गया। बहस वकील प्रार्थीगण मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील पक्षकारान के बहस के दौरान प्रस्तुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम रघुनाथपुरा पटवार मण्डल धाबाईयों का नयागांव तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 36 के अनुसार प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, दूबलाना को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 36 के खसरा सं0 549/534 वाके

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

ग्राम रघुनाथपुरा प0म0 धाबाईयों का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ नायब तहसीलदार, दबलाना को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/09/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446